

**न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी।**

आदेश की म सं० की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
0.04.13	<p align="center"><b>भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं०-65/12-13</b>  <b>श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य-वादिनी</b>  <b>बनाम</b>  <b>श्री अरविन्द कुमार एवं अन्य-प्रतिवादीगण</b></p> <p align="center"><b>आदेश</b></p> <p>यह वाद श्रीमती सरोज देवी एवं श्रीमती आरती कुमारी के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अधीन प्रतिवादीगण के विरुद्ध दायर किया है। वाद ग्रहण कर प्रतिवादीगण के नाम सूचना दी गयी। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित हुए। अंचल अधिकारी, पटना सदर से स्थल जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उभय पक्ष को सुना।</p> <p>वादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद पत्र में अंकित भूमि मौजा-कुम्हारार, थाना सं०-12 के अन्तर्गत स्थित खाता सं०-319, खेसरा सं०-1479 एवं 1478 अंश रकवा क्रमशः 2 कट्ठा 2.5 धूर एवं 12.5 घूर निबंधित दस्तावेज सं०-5106 दिनांक-24.05.2005 के द्वारा श्री सुरेश प्रसाद पिता श्री यमुना प्रसाद से क्रय किया है। इनका कहना है कि प्रतिवादी सं०-2 ने भी खेसरा सं०-1478 एवं 1479 अंश रकवा-1200 वर्गफीट भूमि क्रय किया है। प्रतिवादी सं०-1 ने जनार्दन चौधरी से खेसरा सं०-1477, 1478 एवं 1479 के कुछ अंश को क्रय करने का Agreement किया है। इनका कथन है कि प्रतिवादी सं०-1 एवं 2 ने वादिनी की क्रय भूमि के अंश भाग क्रमशः 20'x17' एवं 14'x20' को अतिक्रमित कर लिया है। इनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी सं० 1 ने मात्र Sale Agreement के आधार पर ही उक्त भूमि का अतिक्रमण कर लिया है। इनका अनुरोध है कि प्रतिवादीगण द्वारा किए गये अतिक्रमण को मुक्त कराया जाय एवं इस वाद के लम्बित रहने तक प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाय। दावा के समर्थन में मात्र दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करते हैं। लिखित बहस प्रस्तुत।</p> <p>प्रतिवादी सं०-1 के द्वारा W.S जमा किया गया। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद पत्र में अंकित भूमि से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका कथन है कि इन्होंने जनार्दन चौधरी से कोई बय बयाना नहीं लिया है। प्रतिवादी सं०-2 की ओर से</p>	

*हेम सुंदर*

लिखित आपत्ति प्राप्त। इनका कथन है कि खेसरा सं०-1478 एवं 1479 का अंश रकवा 1200 वर्गफीट इन्होंने निबंधित दस्तावेज सं०-2984 दिनांक-09.06.94 से क्रय कर उक्त भूमि पर वह दखलकार हैं एवं इनकी चहारदिवारी निर्मित है। इनका कथन है कि खरीदगी के समय पूरी जमीन खाली थी। इनका यह भी कथन है कि इनकी क्रय भूमि से वादी की भूमि के किसी अंश का कोई संबंध नहीं है। इनका कहना है कि वादिनी ने कुल 2 कट्ठा 15 धूर भूमि का क्रय किया है। जिसकी चौहद्दी में दक्षिण 12 फीट का रास्ता अंकित है। इनका आगे कहना है कि सरोज देवी ने क्रय भूमि से एक कट्ठा रणजीत कुमार एवं आरती कुमारी के नाम विक्री कर दिया है। इनका दावा है कि दोनों आवेदकों(वादिनीगण) की भूमि से प्रतिवादी सं०-2 की भूमि सम्बद्ध नहीं है। इन्होंने उक्त भूमि से सटे रास्ता की भूमि पर किसी रणजीत यादव के अतिक्रमण को स्वीकार किया है। इनका संक्षेप में अन्य बातों के अतिरिक्त कथन है कि इन्होंने वादिनी के भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इनका अनुरोध है कि वाद खारिज किया जाय। अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त है। उक्त पत्र के साथ संलग्न कर्मचारी प्रतिवेदन में कर्मचारी ने स्थल की पैमाइश की आवश्यकता व्यक्त किया है।

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं उपलब्ध कराये गये कागजात, अंचल अधिकारी, पटना सदर के पत्र के आलोक में स्थल की नापी हेतु वादिनीगण अमीन द्वारा नापी कराने का शुल्क 1130.00 रुपये नजारत में जमा करें। नापी शुल्क जमा करने के उपरान्त अंचल फतुहों के सरकारी अमीन से नापी करने का आदेश निर्गत करें। नापी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अभिलेख पुनः उपस्थापित करें। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष अगमकुंआ एवं अंचल अधिकारी, पटना सदर को भेजें।

heer  
30/04/13  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
पटना सिटी।